न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025/129

सिविल प्रकरण संख्याः– 15/2025 तारीख रजू 19.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. संजय सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स :– राधे स्वीट होम, बम्बोरी चौराहा, खेरदा, सवाई माधोपुर निवासीः– सोरती बाजार, आमने सामने का मंदिर, शहर, सवाई माधोपुर 322001।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 & 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 27.04.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 17.02.2025 को 03.00 पी.एम. पर मैसर्स राधे स्वीट होम बम्बोरी चौराहा, खेरदा सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम संजय सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया जो वर्ष 2026 तक के लिए मान्य था। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में स्टील से बने डिस्पले काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में लगभग 3 किलोग्राम **Milk Cake made from Milk and Sugar** आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त **Milk Cake made from Milk and Sugar** में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 400/– रूपये विक्रेता संजय सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान कृष्णाअवतार बैरवा एवं बुद्धिप्रकाश मीना (वार्ड बॉय) के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, संजय सैनी ने भी पढकर, समझकर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता संजय सैनी को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **Milk Cake made from Milk and Sugar** को हिला–मिलाकर एकरूप कर खाली स्टील की ट्रे में तुलवाकर खरीदकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Milk Cake made from Milk and Sugar** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर कर 40–40 बूंदे फॉर्मेलिन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-3632** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **H-3632** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नुमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2025/301 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/487/एक्ट/2025/342 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **Milk Cake made from Milk and Sugar, Sub-standard & the Sample is food containing Extraneous Metter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2025/681 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-standard & Extraneous Metter (foreign fat), Milk Cake**
made from Milk and Sugar का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं
नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को
जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अभियुक्त को जवाब
पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया एवं
प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित
कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub Standard, Milk Cake made from Milk and Sugar** का
विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की
उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया
जावे।

वकील अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर
परिवाद पेश किया गया है। प्रार्थी कच्चा माल दूध, शक्कर बाजार से खरीदता है। प्रार्थी का तैयार
माल मिल्क केक उस कच्चे माल से तैयार होता है इसलिए प्रार्थी का कोई दोष नहीं है जिसमें प्रार्थी
की कोई गलती नहीं है। अन्त में वकील अभियुक्त द्वारा अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमाने
का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत **न्याय निर्णयन आवेदन** व दस्तावेजात
का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ **कि मुख्य खाद्य विश्लेषक** जयपुर से
प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/487/एक्ट/2025/**342** दिनांक 24.02.2025 के अनुसार विक्रेता
द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Milk Cake made from Milk and Sugar, Sub**
Standard & Extraneous Metter (foreign fat) प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार
नमूने में B.R. Reading of extracted fat at 40.0^0 C result 61.2 आया है जोकि 40.0 to 44.0 होना
चाहिए था। इस प्रकार जांच रिपोर्ट में B.R. Reading of extracted fat at 40.0^0 C यह दर्शाती है कि
नमूने का **मिल्क फेट आंशिक रूप से foreign** fat से प्रतिस्थापित किया गया है। foreign fat का
मतलब आमतौर पर उस वसा या तेल से होता है जो खाद्य पदार्थ के प्राकृतिक **वसा का हिस्सा नहीं**
होता बल्कि उसे अलग से मिलाया जाता है। B.R. Reading of extracted fat at 40.0^0 C of extracted
fat की रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फेट निर्धारित मात्रा से अधिक आने के कारण नमूना **Sub Standard**
& Extraneous Metter (foreign fat) पाया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल
जाच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की
जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ Milk Cake made from Milk and Sugar का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested